# प्रेस नोट दिनांक 02.07.2021

## थाना कोतवाली जनपद बरेली

**थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 232/21 धारा 420 भादवि में नामित वांछित अभि0 नितिन मिश्रा पुत्र कन्हैया लाल नि0 मौ0 15 जासौली किला थाना किला जनपद बरेली को गिरफ्तार किया**

दिनांक 01.07.2021 को वादी मुकदमा श्री सुन्दर लाल पुत्र स्व0 श्री छेदालाल नि0 मुडिया अहमदनगर थाना इज्जतनगर बरेली द्वारा थाना कोतवाली बरेली पर लिखित सूचना दी की मेरे घर पर पडोसी से मारपीट का विवाद हो गया था। जिसके बाद तीन लोग जिसमे नितिन मिश्रा, शंकर, गुलाम ने पहुचकर पूरी घटना की जानकारी ली। उसके वाद नितिन मिश्रा बोला की मै कप्तान साहब का पी0आर0ओ0 हूँ और यह लोग पत्रकार है। बाद मे इन तीनो ने कार्य कराने के एवज में मुझसे 2500 रूपये ले लिये। तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 232/21 धारा 420 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रोहित सिंह सजवान, जनपद बरेली के निर्देशन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जनपद बरेली के नेतृत्व में उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार (चौकी प्रभारी चौकी जिला अस्पताल) थाना कोतवाली बरेली द्वारा मय टीम के सघन चैकिंग अभियान चलाकर धोखाधडी कर रूपये लेने वाले नामजद एक अभि0 नितिन मिश्रा पुत्र कन्हैया लाल नि0 मौ0 15 जासौली किला थाना किला जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभि0-**

- नितिन मिश्रा पुत्र कन्हैया लाल नि0 मौ0 15 जासौली किला थाना किला जनपद बरेली

**आपराधिक इतिहास-**

- मु0अ0सं0 232/21 धारा 420 भादवि थाना कोतवाली बरेली

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

- उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार
- का0 2904 डिम्पल